



एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

केन्द्रीय कार्यालय/Corporate Centre

Dt. 20.12.2011

Ref: 01:CD:732

To


The Bench Officer

Central Electricity Regulatory Commission

3rd & 4th Floor, Chanderlok Building

36, Janpath, New Delhi

Subject: Submission in Petition No. 121/MP/2011



Sir

This is with reference to petition filed by NTPC under Regulation 44 of the CERC (Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2009 read with Regulation 111 and other related Regulations, 1999 for recovery of additional cost incurred due to abnormal increase in water charges at NTPC Stations.

Please find enclosed additional submission in Petition No. 121/MP/2011 in 9(Nine) copies. Copy of the additional submission has been forwarded to all respondents and the speed post receipt in support of the same is enclosed.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Yours faithfully

(Ajay Dua)

DGM (Commercial)



दिल्ली DELHI

3AA 25281

**BEFORE THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI**


PETITION No. 121/MP/2011

IN THE MATTER OF : Petition under Regulation 44 of the CERC (Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2009 read with Regulation 111 and other related Regulations, 1999 for recovery of additional cost incurred due to abnormal increase in water charges at NTPC stations.

AND
In the Matter of : Filing of Govt. of Uttar Pradesh notification regarding increase in water charges.

Petitioner : NTPC Ltd
NTPC Bhawan
Core-7, Scope Complex
7, Institutional Area, Lodhi Road
New Delhi-110003


Respondents : Uttar Pradesh Power Corporation Ltd, Lucknow
And Others



AM

I, Ajay Dua, son of Shri Des Raj Dua, aged about 45 years, resident of C-401, Ishwar Apartments, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110075 do solemnly affirm and say as follows:

1. I am working as DGM (Commercial) with NTPC Ltd, the Petitioner in the above matter and am duly authorized by the said Petitioner to make this affidavit.
2. The statements made in the accompanying submission are based on official records maintained during course of business and I believe them to be true.




(Deponent)
AJAY DUA
DGM (Commercial)
NTPC Limited
NTPC Bhawan, SCOPE Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110 003

Verification

Solemnly affirm at New Delhi on this 15th December 2011 that the contents of the above affidavit are true to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



(Deponent)
AJAY DUA
DGM (Commercial)
NTPC Limited
NTPC Bhawan, SCOPE Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110 003



15 DEC 2011

BEFORE
THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI

PETITION No. 121/MP/2011

IN THE MATTER OF : Petition under Regulation 44 of the CERC (Terms & Conditions of
Tariff) Regulations, 2009 read with Regulation 111 and other
related Regulations, 1999 for recovery of additional cost incurred
due to abnormal increase in water charges at NTPC stations.

AND
In the Matter of : Filing of Govt. of Uttar Pradesh notification regarding increase in
water charges.

Petitioner : **NTPC Ltd**
NTPC Bhawan
Core-7, Scope Complex
7, Institutional Area, Lodhi Road
New Delhi-110003

Respondents : **Uttar Pradesh Power Corporation Ltd, Lucknow**
And Others

Most respectfully showeth:

1. The Petitioner herein, NTPC Limited has filed a petition under Regulations 44 of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 read with Regulations 111 and other related Regulations for recovery of additional cost incurred due to abnormal increase in water charges at NTPC stations.
2. On the said petition, it was brought to kind notice of Honorable Commission that the states of Orissa, Chhattisgarh and Madhya Pradesh have resorted to abnormal increase in water charges in the range of 94% to 718%, which is far above the 5.72% p.a escalation in O&M Expenses allowed in Tariff. Since such abnormal increase cannot be covered in the O&M Expense Norms, the Honorable Commission has been requested to allow the Petitioner to bill and recover the additional cost incurred in respect of the increase in water charges over



and above allowed for O&M expenditure from the Respondents as an additional component under O&M expenses.

3. In the meanwhile, Department of Irrigation, Govt of Uttar Pradesh through notification dated 15.7.2011(copy enclosed) has increased its water charges by 400%. As per the Notification the increase is as given below:

	Existing	Revised
Royalty Rate	Rs 1.5 Lakh/cusec/year	Rs 6.00 Lakh/Cusec/Yr
Water Tax	Rs 3.12/Cubic ft	Rs 12.48/Cubic ft.

Various NTPC Station such as Badarpur, Dadri Thermal Stage-I, Dadri Thermal Stage-II, Dadri GPS, Singrauli, Auraiya, Tanda and Unchahar, shall be impacted by this abnormal increase in water charges.

Honorable Commission may take on record the notification issued by Govt. of Uttar Pradesh regarding increase in Water Charges for deciding the Petition.



(Deponent)

क्र. 449
 18-7-11

उत्तर प्रदेश शासन
 सिंचाई अनुभाग-4
 संख्या-2953/11-27-सि-4-08(जल)/82
 लखनऊ दिनांक: 15 जुलाई, 2011

→ A.C.M.P.
 C.C.
 24360328
 May 2011
 (N.K. Sinha)
 A.C.M.P.
 B.T.P.S.

कार्यालय-ज्ञाप

1903
 18-7-11

सिंचाई विभाग द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु विभिन्न उपखोलाओं को जल उपलब्ध करने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1056सख/85-23-सि-3 दिनांक 16-04-85 द्वारा प्रति विधारित करते हुए जल मूल्य/रायल्टी-की दर निर्धारित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप प्रस्ताव-5 के उप प्रस्ताव-2 में रायल्टी 50,000 रुपये प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी थी। कालान्तर में अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की मांग औद्योगिक क्षेत्र - निजी क्षेत्र में तेज होना कारणात् में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या-1192/98-27-सि-4-5(सख)/98 दिनांक 26-05-1998 द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की रायल्टी दर 50,000 रुपये प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष से बढ़कर रुपये 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष पुनर्निर्दिष्ट किया गया था।

2- उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु रायल्टी/जल मूल्य एवं अतिरिक्त जल मूल्य/जल कर की वर्तमान दरों में चार गुना वृद्धि निर्णय करने के संबंध में प्रश्न की गयी सहमति के आलेख में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या-562/अविमं-8/वू-6/जी-3 दिनांक 18-11-10 द्वारा रायल्टी/जल मूल्य की दर रुपये 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष में चार गुना वृद्धि करते हुए जल मूल्य की दर रुपये 6,00,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष एवं अतिरिक्त जल मूल्य/जल कर की वर्तमान प्रचलित दर रुपये 3.12 (तीन रुपये बारह पैसे मात्र) में चार गुना वृद्धि करते हुए रुपये 12.48 (बारह रुपये अठ्ठात्तर पैसे मात्र) प्रति हजार घन फुट किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया है।

3- अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर सख्त विचारोंपराभा राज्यपाल महोदय अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की रायल्टी दर रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष में चार गुना वृद्धि करते हुए रुपये 6,00,000 (छ लख रुपये) प्रति क्यूसेक/प्रति वर्ष एवं जल कर हेतु रुपये 3.12 (तीन रुपये बारह पैसे मात्र) में चार गुना वृद्धि करते हुए रुपये 12.48 (बारह रुपये अठ्ठात्तर पैसे मात्र) प्रति हजार घन फुट वृद्धि किये जाने की सख्त रोकथाम प्रदान करते हैं।

किशन सिंह अंतोरिया
 प्रमुख सचिव।

जल सुरक्षा कोष
 18-7-11

303
 67-3
 21/7/11

संख्या एवं तारीख का ध्यान रखें।
 प्रतिलिपि सिंचाई विभाग के सूचना एवं जागरण कार्यवाही हेतु प्रेषित
 सचिव प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 विदेशक, एन०आई०सी० एवं तल योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित
 कि इस कार्यालय ज्ञाप को सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड
 करने का कष्ट करें।


PC 814

18/7/11

21/7/11 8:40 AM

18/7/11
 S. S.
 I.P.O. Lko.

(संयुक्त सचिव)



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(जल संसाधन अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

आपरी सं० 8802
पत्रांक सं० 3/8/11

पत्रांक: /अनिम-8/५०-8/

लखनऊ: दिनांक: 1/8/2011

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश सं०-2953/11-27-सि०-4-08(जल)/82, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अकृषिकारी उपयोग हेतु पानी की रायल्टी दर रु० 8,00,000.00(छ: लाख रुपये) प्रति क्यूसेक/प्रति वर्ग एंव जल कर हेतु रु० 12.48 (बारह रुपये अठतालिस पैसे पांच) प्रति हजार घनफुट निर्धारित की गई है।

अतः शासनादेश दिनांक 15.07.2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी एवं जलकर दोनों की वसूली हेतु निम्नानुसार आदेश एतद्वारा दिये जाते हैं :-

- (क) वर्तमान में ऐंरे सभी उपभोक्ताओं से जहाँ केवल रायल्टी अथवा जलकर की वसूली की जा रही है ते तत्काल प्रभाव से संशोधित दरों पर रायल्टी एवं जल कर की वसूली सुनिश्चित की जायेगी।
- (ख) उत्तर प्रदेश, शासन के अधीन मिट्टी भी राजकीय विभाग, खासत तत्वा गंधवा निगम से बेवजह से लिये जल की आपूर्ति हेतु रायल्टी चार्ज नहीं की जायेगी।
- (ग) उपभोक्ता विभाग/संस्था को जल आपूर्ति किये जाने हेतु शासकीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निष्पादित नहीं किया जायेगा।
- (घ) सभी जल उपभोक्ताओं से समुचित राजस्व की वसूली हेतु आपूर्ति किये जा रहे जल के मापन की सुनिश्चित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(देवेन्द्र मोहन)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक 202 /अनिम-8/५०-8/ 11-3 /तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम/नियोजन/परिकल्प एवं शोध/स्वारा), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्ध क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), न।म से, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, को शासनादेश सं०-2953/11-27-सि०-4-08(जल)/82 दिनांक 15.07.2011 की छायाप्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित।

सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

पत्रांक सं० 8802/11-27-सि०-4-08(जल)/82 दिनांक 15.07.2011 को शासनादेश सं०-2953/11-27-सि०-4-08(जल)/82 दिनांक 15.07.2011 की छायाप्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित।

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ

Shi AD
5/10